

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1307 / 2018 / अलवर
2. अपील संख्या – 1308 / 2018 / अलवर
3. अपील संख्या – 1309 / 2018 / अलवर

मैसर्स रिसाला प्रोडक्ट्स प्रा. लि.  
शाहजहांपुर, अलवर

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वृत्त, अलवर.

.....प्रत्यर्थी

### खण्डपीठ

श्री मदनेलाल मालवीय, सदस्य  
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित ::

श्री पंकज घीया, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री शीतांशु शर्मा, उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 14 / 11 / 2018

### निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा उक्त तीनों अपीलें उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे 'उपायुक्त (प्रशासन)' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 34 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेशों संख्या क्रमशः प.116, 117 व 118 / 2017-18 / उपा.अल. / कर / वैट दिनांक 20.09.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिनमें उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वृत्त, अलवर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 हेतु राजस्थान राज्य में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे 'प्रवेश कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 15(1), 15(2) व 34(ए) के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक एकपक्षीय आदेश दिनांक 07.06.2018 को रीओपन करने हेतु वैट अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार किया है।
2. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	आदेश दिनांक
1.	1307 / 2018	2014-15	07.06.2018
2.	1308 / 2018	2015-16	28.06.2018
3.	1309 / 2018	2016-17	07.06.2018

3. तीनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
4. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के आलौच्य अवधियों के लिये को प्रवेश कर अधिनियम के तहत एकपक्षीय आदेश पारित किये गये थे। उक्त एकपक्षीय आदेशों को रीओपन किये जाने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 34 के तहत उपायुक्त (प्रशासन) के समक्ष ऑनलाईन आवेदन वैट-58 दिनांक 02.08.2018 को पेश किये गये, जिसमें अपीलार्थी की ओर से यह प्रार्थना की गई कि उसे दिनांक 07.06.2018 को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा वैट अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत प्रस्तुत इन प्रार्थना पत्रों की सुनवाई हेतु दिनांक 06.08.2018 को भेजे गये स्थगन का औचित्य नहीं मानते हुए एवं इसके पूर्व समय-समय पर सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिया जाना मानते हुए इन आवेदन पत्रों को खारिज कर दिया। इन आदेशों से व्यथित होकर ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।
5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उक्त तीनों वर्षों में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रवेश कर सम्बन्धी प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष लम्बित थे एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित भी रहे दिनांक 07.08.2018 को व्यवहारी की ओर उसके अधिकृत प्रतिनिधि समय पर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाये। ऐसी स्थिति में उनकी सुनवाई नहीं होकर एकपक्षीय आदेश पारित किये गये हैं, जो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध हैं। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा इस सम्बन्ध में शपथ पत्र भी उपायुक्त (प्रशासन) के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, परन्तु उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं देने का न्यायविरुद्ध निर्णय लिया गया जबकि वैट अधिनियम की धारा 34 में उन मामलों में कर निर्धारण आदेश पुनः खोले जाने के आदेश किया जाना अनिवार्य है जहां पर यह प्रमाणित पाया जाये कि कोई व्यवसायी सम्मन की पालना में युक्तियुक्त कारण की वजह से उपस्थित होने में असमर्थ रहा है। इस प्रकरण में चूंकि अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि वे युक्तियुक्त कारण से दिनांक 07.06.2018 को समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सके थे, ऐसी स्थिति में उनका एकपक्षीय आदेश रीओपन करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया जाना चाहिये था। इस तरह उनके आवेदन

31

॥

- को खारिज करते हुए पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए एवं सुनवाई का अवसर देने का अनुरोध किया एवं अपील निर्णय तक मांग राशि को भी स्थगित किये जाने का अनुरोध किया।
6. विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय रफीक व अन्य बनाम मुंशीलाल व अन्य 1981 ए.आई.आर. 1400 का हवाला देते हुए कथन किया कि किसी अभिभाषक की गलती से पीड़ित व्यक्ति की सुनवाई नहीं करने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना नैसर्गिक रूप से अनिवार्य है एवं अभिभाषक की गलती से निर्दोष पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता।
7. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि पूर्व में इस प्रकरण में लगातार पेशियां दी गयी थी एवं समय-समय पर उन्हें स्थगन भी दिये गये थे जैसा कि उपायुक्त (प्रशासन) के आदेश में भी अंकित किया गया है, परन्तु दिनांक 07.06.2018 को उपस्थित नहीं होने की स्थिति में एवं जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण का निस्तारण किया गया है। ऐसी स्थिति में उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा एकपक्षीय आदेश को रीओपन करने से इन्कार करने का निर्णय लिया जाना विधिसम्मत है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने वैकल्पिक रूप से यह भी कथन किया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा यदि सुनवाई का अवसर दिये जाने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी एक माह का समय देते हुए उन्हें जवाब देने के लिये पाबन्द किया जाये।
8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा उपायुक्त (प्रशासन) एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। उल्लेखनीय है कि अंतिम सुनवाई तिथी को अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हो पाये थे क्योंकि बकौल अपीलार्थी उस दिवस वे शहर से बाहर गये हुए थे। उल्लेखनीय है कि धारा 34(2) में यह प्रावधान है कि किसी समुचित कारणवश यदि व्यवहारी उपस्थित नहीं हो पाया हो तो ऐसे मामलों में एकपक्षीय आदेश को रद्द करते हुए नये कर निर्धारण के आदेश दिये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में वैट अधिनियम की धारा 34 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

**"34. Reopening of ex-parte assessment.-**

(1) Where an assessment has been made ex-parte under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27, the Deputy Commissioner (Administration) may, on the application of the dealer made within thirty days of the

*date of service of the notice of demand in consequence of such assessment along with such fee as may be prescribed, by an order direct the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner as the case may be, to cancel the assessment and proceed to make a fresh assessment in accordance with the provisions of law.*

*(2) Before issuing direction under sub-section (1), the Deputy Commissioner (Administration) should be satisfied that the applicant dealer did not receive notice or summons issued to him under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27 or that he was prevented by sufficient cause from complying with any notice or summons issued to him for assessment."*

9. उक्त धारा के पठन से स्पष्ट है कि एकपक्षीय आदेशों के मामलों में व्यवहारी के नोटिस की पालना में उपस्थित नहीं होने का युक्तियुक्त कारण पाये जाने की स्थिति में उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा एकपक्षीय आदेश को निरस्त कर पुनः कर निर्धारण के आदेश दिये जा सकते हैं। इस प्रकरण में उपायुक्त प्रशासन के आदेश में ही यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि "व्यवहारी की ओर से सुनवाई के अन्तिम अवसर दिनांक 07.06.2018 को आदेश पारित होने के बाद कार्यालय समय पश्चात भेजे स्थगन आवेदन का कोई औचित्य नहीं है।" इस अंकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा उपस्थित नहीं हो सकने की स्थिति में पत्र भी भिजवा दिया गया था एवं नहीं उपस्थित होने का युक्तियुक्त कारण जरिये शपथपत्र भी बता दिया गया था, अतः ऐसी स्थिति में उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा अपीलार्थी को न्यायहित में एक अवसर देते हुए प्रकरण रि-ओपन करना चाहिए था। फलतः उपायुक्त (प्रशासन) के आदेश दिनांक 20.09.2018 को अपास्त करते हुए उक्त सभी प्रकरणों को रि-ओपन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उसका पक्ष सुनते हुए एवं यदि लिखित जवाब दिया जाता है तो उस पर विचार करते हुए गुणावगुण पर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें।
10. प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी को भी यह स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वे दिनांक 15.12.2018 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि अपीलार्थी दिनांक 15.12.2018 को उपस्थित होकर अपना पक्ष मौखिक या लिखित प्रत्युत्तर के रूप में प्रस्तुत नहीं करता है तो कर निर्धारण अधिकारी नियमानुसार आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र होंगे।





11. फलतः उक्त अपीलें स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किये जाते हैं कि दिनांक 15.12.2018 को अपीलार्थी की सुनवाई कर दिनांक 31.01.2019 तक इन प्रकरणों में सम्बन्धित वर्षों के कर निर्धारण आदेश पारित करे।
12. चूंकि प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को रि-ओपन किया गया है, अतः विवादित अपीलीय आदेशों की मांग स्वमेव समाप्त हो जाने से प्रस्तुत स्टे प्रार्थना पत्र बलहीन हो गये हैं, अतः प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र "निष्प्रयोजन" हो जाने के कारण खारिज किये जाते हैं।
13. उक्तानुसार अपीलें स्वीकार की जाती है एवं प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र निष्प्रयोजन हो जाने से खारिज किये जाते हैं।
14. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)  
सदस्य



(मदनलाल मालवीय)  
सदस्य